कार्यालय/न्यायालय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः– श्री संजय कुमार पाठक, ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, (सदस्य)
श्री दिनेश कुमार, ज्वाइण्ट कमिश्नर (जी0एस0टी0 एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), लखनऊ, (सदस्य)

सर्वश्री सिद्धूमल पेपर कन्वर्जन कं0प्रा0लि0,
20, लोनी रोड, मोहन नगर, साहिबाबाद, उ0प्र0–201001,
GSTIN- 091700000308ARO (आवेदक)

आवेदक की ओर सेः– श्री पवन कुमार गोयल (अधिवक्ता)
विभाग की ओर सेः– ....

केन्द्रीय जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 तथा उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 की धारा–98 के अन्तर्गत अग्रिम विनिर्णय।

केन्द्रीय जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 तथा उ0प्र0 एस0जी0एस0टी0 अधिनियम, 2017 की धारा–98 के अन्तर्गत अग्रिम विनिर्णय हेतु दाखिल प्रश्नगत आवेदन पर विचार किया गया। आवेदक द्वारा प्रश्नगत आवेदन के माध्यम से निम्न बिन्दु पर अग्रिम विनिर्णय की अपेक्षा की गयी हैः–

आवेदक इकाई के निम्न उत्पादों के परिवहन के समय उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लागू ई–वे बिल 02 की अनिवार्यता है अथवा नहीं:–

Sr.no.	Item	HSN Code	Composition
1	Polyster BOPP Laminated with paper	3921	59% paper 41% plastic
2	Wax Coated Paper	4811	85% paper 15% plastic
3	Polyethylene/PEG Coated Paper	4811	94%paper 6%plastic
4	Printed Paper	4811	98% paper 2% other
5	Waste and Scrap Paper and Board	4707	98% paper 2% Scrap

अग्रिम विनिर्णय हेतु प्रस्तुत इस आवेदन के सम्बंध में असिस्टेण्ट कमिश्नर, सेन्ट्रल जी0एस0टी डिवीजन–IV, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आवेदक द्वारा अग्रिम विनिर्णय हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराया गया है।

आवेदन पर सुनवाई हेतु उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार गोयल द्वारा अवगत कराया गया कि जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा निकट भविष्य में नेशनल ई–वे बिल सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। नेशनल ई–वे बिल लागू होते ही उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा लागू ई–वे बिल 02 स्वतः समाप्त हो

जायेगा, जिसके कारण अब उन्हें इस बिंदु पर अग्रिम विनिर्णय की आवश्यकता नहीं है। अतः अग्रिम विनिर्णय हेतु दाखिल प्रार्थना पत्र ''Not press'' कर रहें हैं।

अग्रिम विनिर्णय हेतु दाखिल प्रार्थना पत्र ''Not press'' किये जाने के कारण निष्प्रयोज्य है तथा निस्तारित माना जाता है।

21/3/18

(दिनेश कुमार)
ज्वाइण्ट कमिश्नर
(जी0एस0टी0 एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क), लखनऊ
(सदस्य)

21-03-2018

(संजय कुमार पाठक)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश
(सदस्य)

आदेश सं0 - 02 अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण उ0प्र0 दिनांक - 21.03.2018

प्रतिलिपिः–

1. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड–1, वाणिज्य कर, जोन–प्रथम, गाजियाबाद के माध्यम से सम्बंधित क्षेत्राधिकार के करनिर्धारण अधिकारी हेतु।
2. ज्वाइण्ट कमिश्नर, सेन्ट्रल जी0एस0टी0 कमिश्नरेट, गाजियाबाद।
3. सर्वश्री सिद्धूमल पेपर कन्वर्जन कं0 प्रा0लि0, 20, लोनी रोड, मोहन नगर, साहिबाबाद, उ0प्र0–201001

न्यायालय अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण जी.एस.टी. उत्तर प्रदेश